

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षण /
वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

क्रमांक	वांछित जानकारी	विवरण
1.	2.	3.
1.	परियोजना का नाम	मेसर्स गुप्ता स्टोन माईंस, लोहराकोट द्वारा खदान से खनिज परिवहन हेतु आवागमन मार्ग ग्राम भोथिया, आर. एफ. क्रमांक 44 रकबा 1.18 हेक्टेयर में सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित है।
2.	आवेदक का नाम	मेसर्स गुप्ता स्टोन माईंस, प्रोप्राईटर द्वारिका गुप्ता
3.	गैर वानिकी कार्य क्षेत्र हेतु भूमि की मांग	खदान से खनिज परिवहन हेतु सड़क निर्माण
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला जांजगीर-चौपा, वन मंडल जांजगीर-चौपा।
5.	भूमि का विस्तृत विवरण	
	क. आरक्षित वन / संरक्षित वन	परियोजना स्थल. भोथिया, वन खंड भोथिया, कक्ष क्रमांक आर.एफ. 44 रकबा 1.18 हेक्टेयर
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	थनरंक
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	निरंक
	घ. राजस्व वन क्षेत्र	निरंक
		योग 1.18 हेक्टेयर
6.	आवेदित वन क्षेत्रों में वन की वर्तमान स्थिति के प्रकार	आरक्षित वन क्षेत्र
7.	आवेदित वन क्षेत्र	भोथिया वन क्षेत्र
8.	आवेदित वन क्षेत्र में प्राकृतिक पुनःउत्पादन की स्थिति	निरंक
9.	आवेदित क्षेत्र की विशेषकर खनिज प्रकरणों में मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी / मार्ग) से दूरी (स्पष्ट रूप से मानचित्र भी अंकित करें)।	2.5 कि.मी.
10.	क्या आवेदित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील वाटर स्थल) की सीमा के 5 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है, अथवा नहीं, यदि हाँ तो संछिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील वाटर स्थल) की सीमा के 5 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत नहीं है।
11.	आवेदित क्षेत्र के अलावा अन्य वन गैर क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु, उपलब्ध है, अथवा नहीं (विशेषकर	निरंक

	खनीज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे, एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)	
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उलंघन किया गया है कि, नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें।	निरंक

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल भोथिया वन क्षेत्र।

दिनांक 11-09-23

वनमंडल अधिकारी

जांजगीर-चोंपा वन मंडल

वन परिक्षेत्र, चापा

मे. गुप्ता स्टोनि माईन्स
प्रोप्राईटर

उप वन मण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा (स.न.)

वनमंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमंडल
(श्री. हिनेश कुमार पटेल)
(मा. व. से.)